भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *16

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध

***16. डॉ. राजश्री मल्लिक**:
डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) साइबर धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न के संबंधित कई गोपनीयता संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फर्जी कॉल, फर्जी संदेश आदि को रोकने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ग)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के संबंध में दिनांक 07.12.2022 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *16 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

******

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के दौरान बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के क्रमशः 1,102 और 1,376 मामले दर्ज किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनका उद्देश्य साइबर स्पेस को बच्चों के लिए सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है । आईटी अधिनियम की धारा 67ख यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण, टेक्स्ट या छवियों का निर्माण, संग्रह, मांग, ब्राउज़िंग, डाउनलोडिंग, विज्ञापन, प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का आदान-प्रदान या वितरण उन्हें अश्लील या अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट रूप से चित्रित करना, यौन रूप से स्पष्ट करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ऑनलाइन संबंध बनाना या उन्हें लुभाना या प्रेरित करने का कार्य या अपमानजनक तरीके से, उनके ऑनलाइन दुर्व्यवहार को सुविधाजनक बनाना, और बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कार्य से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रूप से दुर्व्यवहार रिकॉर्ड करने को दंडित करती है । इस तरह के अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक के कारावास और बाद में दोषी पाए जाने पर सात साल तक के कारावास के साथ-साथ दस लाख रुपये तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान है और यह एक संज्ञेय अपराध है। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है और 'पुलिस' संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य बच्चों के खिलाफ ऐसे साइबर क्राइम की रोकथाम, जांच आदि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 बनाए हैं। इस तरह के साइबर अपराध से एक समन्वित तरीके से निपटने के लिए इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार दृष्टि रखने के लिए माध्यस्थों की आवश्यकता होती है :

(i) ऐसी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, संचारित करने, स्टोर करने, अपडेट करने या साझा करने से उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए उचित प्रयास करना, जो बच्चे के लिए हानिकारक है, या अश्लील, या किसी अन्य की शारीरिक गोपनीयता या कोई कानून का उल्लंघन करती है;

(ii) उपरोक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार पर, और संबंधित सरकार या उसकी एजेंसी से शिकायत या अदालती आदेश या नोटिस प्राप्त होने की वास्तविक जानकारी पर शालीनता या नैतिकता या मानहानि के हित के संबंध में लागू सम्प्रति कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना;

(iii) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर कानून के तहत रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करना;

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करने के लिए और किसी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत के मामले में 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटा दें जो प्रथम दृष्टया ऐसे

व्यक्ति के निजी क्षेत्र को उजागर करता है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाता है या किसी यौन कृत्य या आचरण में ऐसे व्यक्ति को दिखाता या चित्रित करता है; इसके अलावा, 28.10.2022 को नियमों में एक से अधिक शिकायत अपील समिति (समितियों) की स्थापना के लिए संशोधन किया गया है ताकि ऐसी शिकायतों पर शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को भी अपील करने की अनुमति मिल सके;

(v) यदि कोई माध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थ है (अर्थात, एक माध्यस्थ जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं), 24x7 समन्वय के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एक स्थानिक शिकायत अधिकारी के साथ और स्वचालित उपकरण या अन्य तंत्र सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को तैनात करने का प्रयास करना, बाल यौन शोषण या आचरण को चित्रित करने वाले किसी भी कार्य या अनुकरण को दर्शाने वाली जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान करना।

इस तरह के साइबर अपराधों से समन्वित तरीके से निपटने हेतु तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं:

(i) गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है ताकि नागरिकों को बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। मंत्रालय ने समन्वित और व्यापक तरीके से बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध सहित सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4ग) की स्थापना की है ।

(ii) गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारी का प्रशिक्षण शामिल है । अब तक 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को चालू किया जा चुका है।

(iii) इंटरपोल के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल से प्राप्त सूचियों के आधार पर सरकार ने समय-समय पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया है।

(iv) सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, यूके या प्रोजेक्ट अरचिन्ड, कनाडा की सीएसएएम वेबसाइटों/वेबपेजों की सूची को गतिशील आधार पर लागू करने और ऐसे वेब पेजों या वेबसाइटों तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

(v) दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से पैरेन्टल कंट्रोल फिल्टर के उपयोग के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया है और सीएसएएम युक्त कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस वाले आईएसपी को भी निर्देशित किया है।

(vi) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को 18.8.2017 को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विद्यालयों को सभी कंप्यूटरों में प्रभावी फ़ायरवॉल,

फ़िल्टरिंग और निगरानी सॉफ़्टवेयर तंत्र स्थापित करने और प्रभावी सुरक्षा नीतियों को लागू करने के लिए निर्देशित करते हैं।

(vii) साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल @cyberDost के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों का प्रसार, रेडियो अभियान और किशोरों/छात्रों के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन सहित कई कदम उठाए हैं।

(viii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) चरण- II परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत, देश भर में बड़ी संख्या में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, राज्य साइबर के सहयोग से चुनिंदा शहरों में आयोजित साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के माध्यम से अप्रत्यक्ष मोड में करोड़ों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए स्कूल शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रकोष्ठ/पुलिस विभाग, दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रिंट और डिजिटल मोड में प्रकाशित द्वैमासिक समाचार पत्र, और हैंडबुक, मल्टीमीडिया लघु वीडियो, पोस्टर आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री, जो प्रिंट के माध्यम से प्रसारित की गई है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और आईएसईए जागरूकता पोर्टल (www.infosecawareness.in) पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया गया है; के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है ।

(ix) ऑनलाइन बाल स्पष्ट सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने के लिए भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और संयुक्त राज्य अमेरिका के गुमशुदा और शोषित बच्चों के राष्ट्रीय केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र से प्राप्त टिप लाइन को आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑनलाइन साझा किया जाता है।

फर्जी कॉल, फर्जी संदेश आदि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आईटी अधिनियम की धारा 66घ किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी को दंडित करती है और यह तीन साल तक के कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने से दंडनीय है। जैसा कि यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है, राज्य पुलिस विभाग इसके संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 को ऐसे माध्यस्थो की आवश्यकता होती है, जो अन्य कार्यों के अतिरिक्त इस बात का प्रयास करते हैं कि उपयोगकर्ताएं ऐसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर नहीं करें, जो संदेश की उत्पत्ति के बारे में इसे प्राप्त करने वाले को धोखा देती है, या गुमराह करती है या जानबूझकर किसी भी गलत सूचना को संप्रेषित करती है, जो स्पष्ट रूप से गलत और असत्य या प्रकृति में भ्रामक है या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है । इसके अलावा, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के संबंध में लागू होने वाली अन्य उचित सावधानी सूचना, गलत सूचना या प्रतिरूपण के संबंध में भी लागू होती है।

******